

CERTIFICATE OF RECOGNITION

EDUCATION DEPARTMENT BHILWARA

(Name & Address of the issuing authority)

No. PSU/545

Date: 15-05-2025

To

SUJAS GLOBAL SCHOOL

KAMALPURA, BHILWARA

Sir/ Madam,

Sub: Recognition Certificate for the school under RULE 1993 & SUB RULE 8K OF RULE 2011 (Rule/ sub- rule of the State Act/ Rules).

Ref:

With reference to your application dated 03-09-2024 and subsequent school inspection in this regard, I hereby convey the grant of Recognition to SUJAS GLOBAL SCHOOL, KAMALPURA (Name & Address of school) for **class I to VIII** standard for the period 03 YEAR (no. of years) from the academic year 2024 to 2027 in compliance to section 18 of Right of Children to Free and Compulsory Education, Act, 2009 & SUB RULE 8K OF RULE 2011 of (State Act/ Rule).

The above recognition is subject to the following conditions:-

1. The temporary recognition accorded to the school is valid from the academic year 2024 to 2027 and is to be renewed at an interval of every 03 years.
2. The grant of recognition is available initially for classes I to VIII standard and to be extended for Secondary /Senior Secondary classes subsequently in due course of time.
3. The school shall abide by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 and the RTE ACT 2011 (State Education Act/Rules).
4. The school shall admit in pre-school / class I to the extent of 25% (%age) of the strength in each class, children belonging to Weaker Section and Disadvantaged Group in the neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.
5. The school shall maintain a separate bank account for the purpose of reimbursement.


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक नीलवाड़

6. The school shall not collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure.
7. The school shall not deny admission to any child, -
 - a. For lack of age proof if such admission is sought subsequent to the extended period prescribed for admission.
 - b. On the ground of religion, caste or race, place of birth or any of them.
8. The school shall ensure that,-
 - a. No child admitted shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education in a school.
 - b. No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
 - c. No child is required to pass any board examination till the completion of elementary education.
 - d. Inclusion of students with disabilities/ special need as per provision of the CWSN (rule/ clause of State Act).
 - e. The teachers are recruited with minimum qualifications as laid under STATE RULES (rule/ clause of the state Act).
 - f. The teachers perform his duties specified under STATE RULES(rule/ clause of the state Act).
9. The school shall follow the syllabus on the basis of curriculum laid down by appropriate authority.
10. The school shall maintain the standards and norms as specified in STATE RULES (rule/ clause of the state Act).
11. No unrecognized classes shall run within the premises of the school or outside in the name of school.
12. The school building plan must have been approved by the current rules or G. Os. The school building or other structures and the grounds are used only for the purposes of education and skill development. Construction work within the compound should not be carried out in school working hours and safety measures in all respect are under whole responsibility of the managements.
13. The school is run by a society registered under the 1958 (Act under with Society is registered), or a public trust constituted under any law for the time being in force.
14. The school is not run for profit to any individual, group or association of individuals or any other persons.
15. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared.
16. The school shall furnish such reports and information as may be required by the competent authority from time to time and shall comply with such instructions of the State Government or the competent authority as may be issued to secure the continued fulfillment of the condition of recognition or the removal of deficiencies in working of the school.
- 17 AS PER RULES (language subject) shall be taught as a subject from in standards I to X in all schools notified under RULES concerned Act/ rule) from academic session recognition is granted.


 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) प्रारम्भिक मीलबाड़ा

18. The school shall abide by the provisions of the STATE RULES (State Act/ Rules).
19. The certificates of recognition issued by the department shall be subject to the fulfillment of deficiencies if any pointed out by the department at any stage/ time.
20. The management shall rectify the deficiencies pointed out in infrastructure or administration by the authorities.
21. The management shall apply for renewal of recognition three months before the expiry of this order to this MR. YOGESH PAREEK EDUCATION DEPARTMENT BHILWARA (Name & Address of the certificate issuing authority).
22. The management shall follow the directions issued by the Government/ Department from time to time keeping in view of the safety and security of the children and the overall administration of the school.
23. The recognition shall be withdrawn if any contravention of the provisions of the Act, Rule or the conditions of recognition are found and proved.
24. The school management shall have to full responsibility if any court cases arises this regard. The management is not entitled to seek affiliation to other Board without obtaining NOC from the DIR. OF EDU. BIKANER (Concerned State Authority).



जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक नीलवाड़

Seal & Signature of issuing authority

Name & Address of issuing authority

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a

मान्यता कोड : RJBWR34577

प्रारूप - 2

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक BHILWARA , राजस्थान

क्रमांक: जिशिअमुभी/प्राशि/मान्यता/2024/UPS-545 दिनांक 03.09.2024

सचिव

प्रबंध समिति

SUJAS GLOBAL SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 49270 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SUJAS GLOBAL SCHOOL पता VILL - KAMALPURA ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय CHAMANPURA ब्लॉक BANERA आसा पासा (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण) govt lend खसरा न. 634/106, 635/106 को शैक्षिक सत्र 2024-25 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन होगी :-

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
विद्यालय का स्वीकृत मान्यता कक्षा स्तर	
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संचालन की अनुमति	Yes

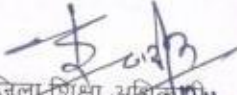
- विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
- मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमजोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाय (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि
(i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
(ii) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
(iii) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक BHILWARA , राजस्थान

- (IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;
- (V) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;
- (VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाएं.
- (VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं
- (VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
8. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।
9. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
12. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
13. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
14. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
15. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।
16. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
19. गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
20. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक बीलवाड़ा

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक BHILWARA , राजस्थान


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक बीलवार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्रारम्भिक

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रारम्भिक बीलवार